न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—270 / 2016 / 223 (2016 / 00270)

1. श्रवण पुत्र हजारी,
2. चतुर्भुज पुत्र सूरजकरण,
3. जगदीश पुत्र नन्दराम,
4. शंकर पुत्र नन्दराम,
5. श्रीमती चौथी पत्नि स्व0 नन्दराम,

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम चाट, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय, नसीराबाद,जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 18.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 112 / 2015.

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट ।

निर्णय

दिनांकः—31.8.2018

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 18. 6.2016 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट / वादी ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188, राज0काश्त0अधि0 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात वादीगण की क्रयशुदा खातेदारी काश्तकारी की भूमि वाकै मौजा भटियानी, तह0 नसीराबाद में चौसाला जमाबंदी खसरा नंबर पुराना 6—ब मिन वर्किग जमाबंदी नंबर नवीन 6 मिन रकबा 10 बीघा 12 आधार नंबर 46 मिन रकबा 1.18 में से 0.48 है0, चौसाला जमाबंदी खसरा नंबर पुरा 7—ब मिन वर्किग जमाबंदी नंबर 6 मिन रकबा 5 बीघा 43 बिस्वा, वर्किग जमाबंदी नंबर 54 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा एवं वर्किग नंबर 55 मिन रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा जिसके आधार जमाबंदी खसरा नंबर अवस्थित 51 रकेबा 1.68 है0 तथा चौसाला खसरा नंबर 10—ब मिन वर्किग खसरा

नंबर 55 मिन रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा जिसके आधार जमाबंदी खसरा नंबर 49 रकबा 0.70 है0 एवं 50 रकबा 0.34 है0 है । उपरोक्त आराजियात चौसाला खसरा नंबर 6–ब रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 7–ब रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नंबर 10–ब रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 20 बीघा भूमि वादीगण श्रवण व वादीगण संख्या 2 के पिता सूरजकरण एवं वादी संख्या 3 से 5 के पिता/पति नन्दराम ने दिनांक 25.4.1963 को क्रय की जिससे चौसाला जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 में खाता संख्या 129 में क्रेतागण नन्दराम, सूरजकरण, श्रवण पुत्रगण हजारी कौम जाट के नाम उपरोक्त आराजी खातेदारी के रूप में दर्ज की गई तथा क्रेतागण चौसाला जमाबंदी में रिकार्डेड खातेदार होकर उक्त आराजी पर तब से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा क्रेता नन्दराम व सूरजकरण की मृत्यु होने वारिसान वादीगण संख्या 2 लगायत 5 एवं क्रेता श्रवण का आज भी मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। चौसाला खसरा नंबर 6–ब रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 7–ब रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 10–ब रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 20 बीघा के वर्किंग जमाबंदी में बने नवीन वर्किंग खसरा नंबर 6 रकबा 15–15–00 एवं 54 रकबा 10–7–0, खसरा नंबर 55 रकबा 6–8–0 में से 20 बीघा भूमि क्रेतागण के नाम बेनामे से चौसाला जमाबंदी में दर्ज की गई को वर्किंग जमाबंदी में 20 बीघा भूमि दर्ज कर क्रेतागण नन्दराम व सूरजकरण की मृत्यु के बाद वारिसान वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय बंदोबस्त विभाग ने उपरोक्त 20 बीघा भूमि को रकबा 16–05–00 भूमि दर्ज की तत्पश्चात् पुनः गैर कानूनी तरीके से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बने हाल खसरा नंबर 51 रकबा 1.68 है0, 449 रकबा 0.70 है0, 50 रकबा 0.34 है0, 46 रकबा 1.18 है0 में से 0.48 है0 भूमि में से खसरा नंबर 51 रकबा 1.68 है0, 49 रकबा 0.70 है0, 50 रकबा 0.34 है90 कुल रकबा 2.72 है0 तो क्रेतागण के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकन किया किन्तु हाल खसरा नंबर 46 रकबा 1.18 है0 में से 0.48 है0 भूमि वादीगण के क्रेतागण के नाम चौसाला जमाबंदी अनुसार खातेदारी दर्ज करने के बजाय गैर कानूनी रूप से विधिविरूद्ध तरीके से गलत एवं त्रुटिपूर्ण रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया । उक्त गलत इंद्राज केआधार पर प्रतिवादी वादी को विवादित भूमि से बेदखल करने पर आमादा है । अतः वाद स्वीकार कर त्रुटिपूर्ण इंद्राज को दुरूस्त किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम चौसाला जमाबंदी अनुसार पुनः खातेदारी में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2016 द्वारा वादी/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने से पूर्व वादी को साक्ष्य एवं सबूत पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया । विवादित भूमि चौसाला खसरा नंबर 6–ब रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 7–ब रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 10–ब रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 20 बीघा के वर्किंग जमाबंदी में बने नवीन वर्किंग खसरा नंबर 6 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नंबर 54 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 55 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा में से 20 बीघा भूमि क्रेतागण के नाम बेनामे से चौसाला जमाबंदी में दर्ज की गई थी को वर्किंग जमाबंदी में 20 बीघा भूमि दर्ज कर क्रेतागण नन्दराम व सूरजकरण की मृत्यु के बाद वारिसान वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय बंदोबस्त विभाग एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों के परे जाते हुए मौका एवं रिकार्ड की

अनदेखी करते हुए उपरोक्त 20 बीघा भूमि को रकबा 16–15–00 भूमि दर्ज की गई तत्पश्चात् पुनः गैर कानूनी तरीके से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बने हाल खसरा नंबर 51 रकबा 1.68 हे0, खसरा नंबीर 449 रकबा 0.70 है0, खसरा नंबर 50 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 46 रकबा 1.18 है0 में से 0.48 है0 भूमि में से खसरा नंबर 51 रकबा 1.68 है0, खसरा नंबर 49 रकबा 0.70 है0, खसरा नंबर 50 रकबा 0.34 है0 कुल रकबा 2.72 है0 तो क्रेतागण के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया किन्तु हाल खसरा नंबर 46 रकबा 1.18 है0 में से 0.48 है0 भूमि वादीगण के विक्रेतागण के नाम चौसाला जमाबंदी अनुसार खातेदारी दर्ज करने के बजाय गैर कानूनी रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया गया था किन्तु अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना तथा वादीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण को कैम्प में रखकर निर्णित कर दिया । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 ने विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना कैम्प में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है। अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।

5. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अधी0न्याया0 ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 5.10.2018 को दर्ज कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किये जाने के आदेश पारित कर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.11.2015 नियत की । तत्पश्चात् पत्रावली में तीन पेशियों तक पत्रावली पीठासीन अधिकारी मुख्यालय के बाहर होने/अवकाश पर होन के कारण तारीख तब्दील की जाती रही है । दिनांक 14.3.2016 को पत्रावली की आदेशिका में पत्रावली वास्ते जवाब सरकार दिनांक 2.5.2016 का अंकन है । तत्पश्चात् तारीख पेशी दिनांक 2.5.2016 को पीठासीन अधिकारी के मुख्यालय से बाहर होने से पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनाक 11.7.2016 नियत की गई किन्तु उक्त तारीख पेशी से पूर्व पत्रावली दिनांक 18.6.2016 को कैम्प कौर्ट में रखी जाकर तहसीलदार, नसीराबाद से जवाब प्राप्त कर पत्रावली को निर्णित किया है । अधी0न्याया0 ने नियत तारीख पेश दिनांक 11.7.2016 से पूर्व पत्रावली को कैम्प कोर्ट में दिनांक 18.6.2016 को रखे जाने के संबंध में वादी/अपीलांट को कब नोटिस जारी किये इस संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर वाद में आवयक तनकियात की रचना भी नहीं की है तथा ना ही वादी को साक्ष्य एव ंसुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया है जो निश्चित रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के सिद्धांतों के विपरीत होने से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधी0 न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् नहीं होने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

6. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2016 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों

के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वाद एवं जवाब दावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को विधिक प्रक्रिया अनुसार गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 31.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर